"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2020 — माघ 23, शक 1941

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–16/2018/16.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) की धारा 21 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों,–

परिशिष्ट में, नियम 2 में, खण्ड (छः) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(सात) (क) 'नियत अवधि नियोजन कर्मकार' से अभिप्रेत है ऐसे कर्मकार, जिसे नियत अवधि के लिए ठेकागत नियोजन पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते एवं अन्य लाभ किसी स्थायी कर्मकार से कम नही होंगे। वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसके नियोजन की अवधि, कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ायी जाती हो।

(ख) नियत अवधि नियोजन आधार पर नियोजित कोई कर्मकार, ठेका या नियोजन के नवीनीकरण न होने या इसकी समाप्ति परिणामस्वरूप, यदि उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती है, तो किसी नोटिस या उसके बदले में वेतन का हकदार नही होगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 10–16/2018/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10–16/2018/16, दिनांक 07–02–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 7th February 2020

NOTIFICATION

No. F 10-16/2018/16.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Rules 1963, which the State Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 21 of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), proposes to make, is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 21 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Labour, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In Annexure, in rule 2, after clause (vi), the following shall be added, namely:-

"(vii) (a)" Fixed term employment employee" means an employee who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent employee. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent employee proportionately according to the period of service rendered by him even if his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute.

(b) No workman employed on fixed term employment basis as a result of non-renewal of contract or employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof, if his services are terminated."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.D. PURBIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.